



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-31102022-239951
CG-CG-E-31102022-239951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4855]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944

No. 4855]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 26 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5074(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन न की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारिणी—1

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना
1	2	3
1.	अपर कलेक्टर, राजनादगांव छत्तीसगढ़	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राजनादगांव—डोंगरगढ़ (31.2 कि.मी.) के बीच एनर्जी कॉरिडोर (चौथी लाईन) परियोजना का निर्माण। राजनादगांव जिले के लिए।

[फा. सं.— डी.सी. ई/सी/आर/आर.जे.एन.—डी.जी.जी./7ए]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 26th October, 2022

S.O. 5074(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE-1

S.No.	Competent Authority	Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Additional collector, Rajnandgaon, Chhattisgarh.	Construction of Energy Corridor (4th line) project between Rajnandgaon-Dongargarh (31.2 km) situated in Chhattisgarh State. For Rajnandgaon District.

[F. No. DCE/C/R/RJN-DGG/7A]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Construction)